न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,

(पीठासीन अधिकारी: बीना माहवर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 19/2020 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

केशव कुमार गोयल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा
अधिकारी, भरतपुर।

आवेद

बनाम

1. कल्याण सिंह जाट पुत्र श्री विजन सिंह जाट उम्र 32 वर्ष (खाद्य
कारोबारकर्ता एवं विक्रेता) मैसर्स चौधरी डेयरी, नगर रोड, नदबई, जिल
भरतपुर निवासी–ग्राम नगला हरमुख पो0 नाहरा चौथ, तह0 डीग जिल
भरतपुर।
2. महावीर सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जाट (मालिक) मैसर्स चौधरी डेयरी
नगर रोड नदबई जिला भरतपुर निवासी ग्राम नगला हरमुख पो0 नाहरा
चौथ तहसील डीग जिला भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,
2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :– 1. गैरसायल संख्या 1 स्वयं

निर्णय

दिनांक : 08.10.2020

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 25.08.2020 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायलान

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

दिनांक 18.09.2020 को उपस्थिति हुये। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी गई। नियत दिनांक 08.10.2020 को गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 21.10.2019 को दोपहर 01.00 बजे गैरसायल की दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान में 60 किग्रा0 पनीर का विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर 1 किग्रा. पनीर क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–813/एक्ट/2019/791 दिनांक 12.12.2019 द्वारा उक्त पनीर का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का पनीर आम जनता को विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 (ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लघंन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है क्योकि प्रार्थी काफी समय से दूधियाओं से दूध लेकर पनीर का निर्माण करता चला आ रहा है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थी स्वीकार करता है। जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायल की यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल ने स्वयं को छोटे स्तर का व्यापारी होना बताया है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता के लिये विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 21.10.2019 को गैरसायल की दुकान से आम जनता के विक्रय हेतु संग्रहित पनीर का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 12.12.2019 में अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा पनीर का दुकान पर निर्माण करना बताया। गैरसायल के द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थो का विक्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। गैरसायल के व्यापार परिसर पर 60 किग्रा0 पनीर वक्त जांच संग्रहित पाया गया है। जिस दुकानदार के पास 60 किग्रा0 पनीर वक्त जांच पाया जावे वह छोटे स्तर का

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

व्यापारी है नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 20000/– रूपये (बीस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 08.10.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना माहवर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर